13/1/14

वकालत नामा

हमी उपरोक्त का एवं पूर्व निर्धारित ही रहेगा ही बाद निर्धारित होने से एक प्रार्थना पत्र का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। अतः प्रार्थी पत्र स्वतः ही निरस्त जाता है पत्रावली को कार्य मुक्त होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner